

प्ररूप 21 ग
(नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन परिणाम की घोषणा

चित्तौड़गढ़ विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से राजस्थान (राज्य) की विधानसभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अनर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि -

श्री चन्द्रभान सिंह चौहान

9, कृष्णा वाटिका-3 मधुवन कॉलोनी, चित्तौड़गढ़

जो निर्दलीय (मान्यता प्राप्त/रजिस्ट्रीकृत राजनैतिक पार्टी का नाम) द्वारा खड़े किए गए/की गई है।

उपर्युक्ता निर्वाचन -क्षेत्र से उस सदन में स्थान को भरने के लिये सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए/गई है।

स्थान : चित्तौड़गढ़
दिनांक : 03 दिसम्बर 2023



(रामचन्द्र खटीक)
रिटर्निंग अधिकारी (उपखण्ड मजिस्ट्रेट)
विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र चित्तौड़गढ़(169)

Form 21C

(See rule 64)

(For use in General Election when seat is contested)

Declaration of the result of Election under section of the Representation of the People Act, 1951

Election to the Legislative Assembly of **Rajasthan** State from the **CHITTORGARH** Assembly constituency.

In puesuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that—

SHRI CHANDRA BHAN SINGH CHOUHAN

**9, KRISHNA VATIKA-3 MADHUWAN COLONY SENTHI,
CHITTORGARH, RAJASTHAN**

sponsored by **INDEPENDENT** (name of the recognised/registered political party)
has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place : Chittorgarh

Date : 03 December 2023



(Ramchandra Khatik)
Returning Officer (SDM)
A.C. Chittorgarh (169)